

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1972/माघ 11, 1893

No. 59] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1972/MAGHA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जानी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 31st January 1972

S.O. 76(E)/15/IDRA/72(2).—Whereas the industrial undertaking known as **Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited**, Calcutta, is engaged in the Scheduled Industry, namely, Glass Industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down and the production has now come to a standstill consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said industrial undertaking and to ensure that production in the scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Dr. S. P. Verma, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development.

Members

1. Shri C. R. Guha Mazumdar, Joint Secretary, Commerce and Industries Department, Government of West Bengal.
2. Shri S. R. Mallaya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance.

The above body shall submit its report to the Central Government within a period of six weeks from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[No. F. 25(19)/72-PEC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1971

क्र० आ० 76(अ)/15/अ.इ.डी.अ.ए./72(2) —यतः कृष्णा मिलिकेट एण्ड ग्लाम वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् काच उद्योग में लगा है। और यतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त कारखाने में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का परिमाण धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त कारखाने को बन्द किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन अब शून्य हो गया है;

प्रारंभतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बंद होने से उत्पन्न स्थिति का सुधारने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित उद्योग का उत्पादन लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले रूप में न विगड़े, तत्काल उपाय करना समीचीन है;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

श्री एस० पी० वर्मा,

औद्योगिक मलाहकार,

तकनीकी विकास का महानिदेशालय,

औद्योगिक विकास मंत्रालय।

सदस्य

1. श्री सी० आर० गुहा मजुमदार,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल ।
2. श्री एस० आर० मालेया,
ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय ।

उपरोक्त निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित की तारीख से छः महीना की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।

[सं० फा० 25(19)/72-पी० ई० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

